

प्रेषक,

अमल कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ.प्र.,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2010

विषय :- सहायक निबन्धकों को समयमान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4195/स्था0क/1ए-जी-91 दिनांक 30.12.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सहायक निबन्धकों को वेतनमान रू0 2200-4000 परिवर्तित वेतनमान 8000-13,500 के सीधी भर्ती के पद पर आठ वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लिये जाने पर रू0 3000-4500 परिवर्तित वेतनमान रू0 10,000-15,200 वर्तमान में 15,600-39,100+पे ग्रैंड रू0 6,600 का समयमान वेतनमान नियमानुसार निम्न सारिणी के अनुसार स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम अधिकारी सर्वश्री	योगदान तिथि	08 वर्ष सेवा पूर्ण करने की तिथि	08 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5
1	सत्य प्रकाश त्रिपाठी	12.05.98	11.06.06	12.06.06
2	राजीव यादव	07.04.2000	06.04.08	07.04.06
3	रमेश बाबू	16.04.98	15.04.06	16.04.06
4	वरुण कुमार मिश्रा	01.04.98	30.03.06	01.04.06
5	श्रीकान्त गोस्वामी	27.03.98	26.03.06	27.03.06
6	हृदयराम	20.03.98	19.03.06	20.03.06
7	मनोज कुमार	31.03.98	30.03.06	31.03.06
8	देवमणि मिश्रा	08.10.98	07.10.06	08.10.06
9	विनय कुमार मिश्रा	28.03.98	27.03.06	28.03.06

10	अशोक कुमार	24.03.98	23.03.06	24.03.06
11	सतीश चन्द्र मिश्रा	09.10.98	08.10.06	09.10.06
12	विनोद कुमार सिंह	13.10.98	12.10.06	13.10.06

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि समयमान वेतनमान रू० 10,000-15,200 में प्राप्त वेतन से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

/

(अमल कुमार वर्मा)


प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-2656 / (1) / 49-2-2010 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. अपर निबन्धक (प्रशा०) सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
3. संयुक्त निबन्धक, (प्रशा०) सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण।
6. वित्त (वेतन आयोग अनुभाग-2)
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग-2)
8. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ
9. सम्बन्धित कोषागार।
- ✓ 10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राजनाथ)
अनु सचिव